रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 763] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 991(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राजस्थान राज्य विधायन के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अंतर्गत गठित 'राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड', को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
(ख) लाइसेंस फीस और जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि;
(ग) सरकारी अनुदानों, लाइसेंस फीस और जुर्माने पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहते हैं ; और

(ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दाखिल करता है।

[अधिसूचना सं. 34/2015/फा. सं.196/38/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक